भारत सरकार / Government of India
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
विकास आयुक्त का कार्यालय / Office of the Development Commissioner,
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ-Special Economic Zone,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai – 400 096
टेलि. / Tel. : 022-28294789/28294500 फैक्स / Fax : 28291754,
ई-मेल / E-mail: emseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

सं.सीप्ज़-सेज़/ईएमएस/जीसी/05/ईडीआइ/2015-16/ **दिनांकः .10.2017**

निविदा आमंत्रण सूचना

विषयः सीप्ज़ सेज़ प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए फॉर्मेट तथा डाटा के आधार पर गेट पास (पीवीसी कार्ड) की पूर्ति तथा प्रिंटिंग ।

सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण प्रिंटरों तथा जनशक्ति सहित प्रिंटेड पीवीसी कार्डों की पूर्ति गेट पास की प्रिंटिंग के लिए प्रतिष्ठित, अनुभवी तथा वित्तीय दृष्टि से सक्षम एजेन्सियों से तीन महीनों (जो बढ़ाई भी जा सकती है) के लिए मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है ।

पूर्ण निविदा दस्तावेज़ इस कार्यालय के इस वेबसाइट अर्थात www.seepz.gov.in तथा केंद्रीय सार्वजनिक अधिप्राप्ति पोर्टल www.eprocure.gov.in पर उपलब्ध है । इस निविदा दस्तावेज़ में आगे होने वाले शुद्धि पत्र / भूल - सुधार की सूचना उक्त वेबसाइट पर दी जाएगी । बोलीदाताओं को इस दस्तावेज़ के शुद्धि पत्र / भूल सुधार के लिए नियमित रूप से यह वेबसाइट देखते रहें ।

1.कोटेशन प्रस्तुत करने की क्रियाविधि के संबंध में:

i. निविदा दो कोटेशन प्रणाली में निम्नानुसार दो अलग-अलग लिफाफों में प्रस्तुत किए जाएं ।
लिफाफा 1 जिसके ऊपर "तकनीकी बोली" लिखा गया हो, में उपपैरा III में यथाउल्लिखित तकनीकी पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेज रखे जाएं ।
लिफाफा 2 जिसके ऊपर "वित्तीय बोली" लिखा गया हो, में उपपैरा IV में यथाउल्लिखित बोली मूल्य रखा जाए ।

ii. ये दोनों मुहरबंद लिफाफे एक साथ एक बड़े लिफाफे में प्रस्तुत किए जाएं जिस पर लिखा हों, **"वर्ष 2017-18 के लिए प्रिंटिंग गेट पास तथा प्रिंटिंग कार्ड के आपूर्ति के**

11६२१

<u>सीप्ज़ - सेज़ से निविदा"।</u> यह लिफाफा प्रबंधक (संपदा), सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण, सीप्ज़-सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 को संबोधित किया जाए ।

iii. उपर्युक्त उल्लिखित मुहरबंद लिफाफा इस कार्यालय में **दिनांक 18.10.2017 को अपराह्न 2.30 बजे** तक डाक/कुरियर द्वारा अथवा स्वयं आवेदक द्वारा अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया जाएगा अथवा यह भूमितल पर स्थित आवक अनुभाग अनुभाग के निकट रखे लेटर बॉक्स में डाला जा सकता है ।

iv. निविदा जो विलंब से प्राप्त किए जाएंगे अथवा जो मुहरबंद नहीं होंगे अथवा जिनके ऊपर लिखा हुआ नहीं रहेगा, वे अस्वीकृत किए जा सकते हैं ।

v. निविदा पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाएं तथा इन पर कंपनी/फर्म की सील लगाई जाए तथा जो मुद्रित फॉर्म में पूर्ण हों ।

vi. निविदा का प्रत्येक पृष्ठ जिसमें विशिष्टियां आदि भी शामिल हैं, बाएं हाथ के कोने के सबसे नीचे विधिवत हस्ताक्षरित किया जाए ।

vii. निविदा के संबंध में किए जाने वाले प्रत्येक सुधार / विलोप / परिवर्धन / लिप्त लेखन/ चिपकाई गई पर्ची पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किया जाए ।

viii. अपूर्ण, अस्पष्ट तथा सशर्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

ix. बोलीदाता को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/हस्ताक्षरकर्ताओं के प्राधिकार का प्रमाणपत्र (जोकि व्यक्ति, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म के संघ के रूप में लागू हो) प्रस्तुत करना होगा ।

x. यदि निविदा किसी फर्म द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो इस पर प्रत्येक पार्टनर द्वारा अलग-अलग अवश्य हस्ताक्षर किया जाए अथवा किसी पार्टनर की अनुपस्थिति में, उनकी ओर से इस पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किए जाने का मुख्तारनामा रखने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा ।

xi. बोलीदाता शब्दों में तथा अंकों में उल्लिखित दरों का उल्लेख करेंगे। यदि शब्दों में दरें, अंकों में उल्लिखित दरों से भिन्न होंगी, तो इनमें से जो भी दर कम होगी, वही सही दर माना जाएगा ।

xii. कोटेशन की दर के साथ बयाना जमा राशि (ईएमडी) के रूप में 1,00,000/- (एक लाख रूपए मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर जो कि "सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण निधि" के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक पर आहरित हो, देना होगा। नकद भुगतान, चेक तथा भुगतान का अन्य कोई तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

xiii. निविदा खोले जाने के समय बोलीदाता व्यक्तिगत रूप से स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं ।

xiv. समिति यदि चाहे, तो बोलीदाता की पात्रता निर्धारण के मामले में बिना कोई कारण बताए इसकी शर्त अथवा शर्तें शिथिल कर सकती है, संशोधित कर सकती है । कोटेशन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात किसी प्रकार की पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी।

xv. कोटेशन के चयन के पूर्व कंपनी/फर्म की तकनीकी सक्षमता अभिनिश्चित की जाएगी।

xvi. ईएमडी तथा उपर्युक्त आवश्यक दस्तावजों के बिना प्रस्तुत किए जाने वाले कोटेशन संक्षेपतः अस्वीकृत कर दिए जाएंगे ।

xvii. **सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी समय तथा किसी भी अवस्था में कोई अथवा सभी निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है तथा इस संबंध में सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण का निर्णय बोलीदाता के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी होगा ।**

xviii. कोटेशन वापस लिए जाने की स्थिति में ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा ।

2. <u>निविदा का खोला जाना ।</u>

i. लिफाफा I जिसके ऊपर लिखा गया हो, **"तकनीकी बोली" दिनांक 18.10.2017 को अपराह्न 03.30 बजे,** विकास आयुक्त कार्यालय, सीप्ज़-सेज़ के भूतल में बोलीदाता अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में समिति तथा अन्य जिन्हें इस कार्य के लिए प्राधिकृत किया जाए, के समक्ष खोला जाएगा ।

ii. **लिफाफा II** जिसके ऊपर **"वित्तीय बोली"** लिखा गया हो, के खोले जाने की तारीख तथा समय की सूचना लिफाफा I के खोले जाने के समय सफल बोलीदाता को दी जाएगी ।

iii. समिति द्वारा "तकनीकी पात्रता" के लिए उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर सभी बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा, दस्तावेजों की संवीक्षा किए जाने के पश्चात समिति पात्र बोलीदाता का चयन करेगी।

iv. **लिफाफा II जिसके ऊपर लिखा गया हो, "वित्तीय बोली" केवल पात्र बोलीदाताओं के लिए खोला जाएगा ।**

(III) <u>तकनीकी कोटेशन के आधार पर कंपनी/संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला पूर्व अर्हता का मानदंडः</u>

लिफाफा I जिसके ऊपर लिखा गया हो "तकनीकी बोली" में निम्नलिखित दस्तावेज़ रखे जाएं ताकि इनके आधार पर नामिकायन के लिए तकनीकी पात्रता का निर्धारण किया जा सके ।

i. "सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण निधि" के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक पर आहरित डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में 1,00,000/- (एक लाख रूपए मात्र) की बयाना जमा राशि (ईएमडी) ।

ii. पैन, जीएसटी संख्या तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान भुगतान किए गए आयकर की प्रतिलिपियां संलग्न की जाएं ।

iii. कार्य क्षेत्र के अनुसार कार्डों के नमूने जोकि गेट पास की प्रिंटिंग के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे ।

iv. फर्म द्वारा इस आशय का विधिवत हस्ताक्षरित स्वीकृति-पत्र संलग्न किया जाए जिसमें निविदा दस्तावेज़ों के निबंधन तथा शर्तों के समझे जाने तथा स्वीकार किए जाने की पुष्टि की गई हो ।

v. इस आशय का नोटरीकृत शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया जाए जिसमें यह घोषणा की गई हो कि किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कार्यालय द्वारा आपके फर्म को न तो काली सूची में डाला गया है और न ही कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है ।

vi. इस आशय का वचनबंध की बोलीदाता सेवा का निष्पादन अथवा सेवा का कोई हिस्सा न तो किसी को सौंपेगा, न हस्तांतरित करेगा, न गिरवी रखेगा और न ही

उप - ठेक पर देगा । वह आगे इसके लिए वचन-बंध प्रस्तुत करेगा कि वह निविदा दस्तावेज़ों के निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन करेगा ।

vii. महाराष्ट्र में स्थित केंद्रीय सरकार / केंद्रीय सरकार के उपक्रमों / महाराष्ट्र सरकार / स्वायत्त निकायों / औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्राइवेट फर्मों / बैंकों द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान दिए गए संविदा से संबंधित कार्यादेश का प्रमाण ।

viii. बोलीदाता का मुंबई में व्यापार का मुख्य स्थान हो । सफल आवेदक को निगमन प्रमाणपत्र, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र तथा दुकान तथा अधिष्ठान लाइसेन्स परिसर अधिभोग करने संबंधी करार, बिजली बिल, टेलीफोन बिल आदि का दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा ।

(IV) वित्तीय बोली का मानदंड:

1. **<u>लिफाफा II जिसके ऊपर "वित्तीय बोली" लिखा गया हो, में जीएसटी सहित बोली मूल्य शामिल किया जाए । कृपया संलग्नक "ख" देखें ।</u>**

(महेश यादव)
संपदा प्रबंधक
सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण

कार्य का क्षेत्र

1. निम्नलिखित विशिष्टियों के साथ पीवीसी कार्डों पर गेट पासों की मौके पर पूर्ति एवं प्रिंटिंगः-

क्रमांक	मद	मात्रा	आकार	रंग
1	सरकारी कर्मचारी पहचान पत्र	आवश्यकतानुसार	लंबाई 85 एमएम चौड़ाई 54 एमएम मोटाई 30 एमआइएल	सफेद
2	पीवीसी कार्ड पर स्थायी गेट पास	लगभग 2200 (आगे - पीछे) प्रतिमाह (लगभग 88 प्रतिदिन)	लंबाई 85 एमएम चौड़ाई 54 एमएम मोटाई 30 मिल	सफेद

2. सफल बोलीदाता को पर्याप्त मात्रा में पीवीसी कार्ड तथा प्रिंटर रखने होंगे ।
3. बोलीदाता को निम्नलिखित विशिष्टियों वाला प्रिंटर उपलब्ध कराना होगाः-

i. रंगीन पहचान पत्रों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला डबल साइडेड कार्ड प्रिंटर ।

ii. विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल (32 बीट विंडो एक्सपी के लिए ड्राइवर्स आवश्यक) ।

iii. औसतन 1000 कार्ड प्रतिदिन का प्रिंटआउट ।

iv. सफल बोलीदाता को सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले डाटा के आधार पर गेट पासों की बिना रूकावट के प्रिंटिंग सुनिश्चित किए जाने के लिए जनशक्ति उपलब्ध करानी होगी ।

v. गेट पासों की प्रिंटिंग का सामान्य समय प्रातः 09.30 बजे से सायं 06.00 बजे तक होगा । तथापि, आवश्यकता पडने पर सायं 06.00 बजे के बाद भी उसी दिन गेट पासों की प्रिंटिंग पूरी करनी होगी ।

अन्य निबंधन तथा शर्तें : (संलग्नक "क" देखें)

1. सफल बोलीदाता को कार्य-क्षेत्र के अनुसार प्रिंटर, जनशक्ति तथा प्रिंटिंग कार्ड उपलब्ध कराना होगा तथा उसके अनुसार कार्य करना होगा, ऐसा न करने पर इसे संविदा भंग माना जाएगा तथा प्राधिकरण को बिना कोई कारण बताए संविदा को रद्द करने / समाप्त करने का अधिकार होगा तथा जमा बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी । इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

2. सफल बोलीदाता को संविदा अवधि के दौरान प्रिंटिंग कार्डों तथा प्रिंटिंग की गुणता बनाए रखनी होगी । प्रोफॉर्मा के अनुसार प्रिंटिंग की सामग्री साफ तथा पठनीय होगी ।

3. गेट पासों की प्रिंटिंग प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई जगह पर होगी । प्रत्येक दिन प्रिंट किए जाने वाले कार्डों की संख्या गेट पास के प्रभारी द्वारा प्रमाणित की जाएगी ।

4. सफल बोलीदाता तथा उसके कार्मिकों / कामगारों / कर्मचारियों को नियमों, विनियमों तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले दिशा - निर्देशों का अनुपालन करना होगा तथा उन्हें कामकाज के घंटों के दौरान अनुशासन बनाए रखना होगा ।

5. सफल बोलीदाता द्वारा नियोजित कार्मिकों / कामगारों / कर्मचारियों को मजदूरी तथा / अथवा अन्य किसी प्रकार की परिलब्धियों के भुगतान के लिए प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा । सफल बोलीदाता अपने कार्मिकों / कामगारों द्वारा किए जाने वाले किसी प्रकार के दावे के विरूद्ध प्राधिकरण को हमेशा क्षतिपूर्ति से मुक्त रखेगा ।

6. प्राधिकरण को सफल बोलीदाता अथवा उसके कार्मिकों/कर्मचारियों की ओर से किसी तकनीकी तथा/अथवा प्रक्रियात्मक चूकों के कारण होने वाली वित्तीय हानि अथवा क्षति की पूर्ति सफल बोलीदाता को करनी होगी ।

7. यदि 3 घंटे से अधिक समय तक गेट पास की पूर्ति का कार्य बाधित होता है, तो 1,000/- रू (एक हजार रूपए) के अर्थदंड के दायी होंगे ।

8. **सफल बोलीदाता को कार्य आदेश प्राप्त करने की तारीख से 3 दिनों के अंदर अपनी स्वीकृति देनी होगी, ऐसा न करने पर जारी किया जाने वाला कार्य आदेश रद्द समझा जाएगा ।**
9. बिलनः कार्डों की पूर्ति तथा प्रिंटिंग का कार्य पूरी तरह से निष्पादित किए जाने के पश्चात स्वीकृत बोली की दर से प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया जाएगा ।

10. निविदा हस्तांतरणीय नहीं है, सफल बोलीदाता किसी भी मामले में कोई उप ठेकेदार अथवा अन्य कोई संगठन को नियुक्त नहीं करेगा तथा उसे अपने अधिकारों तथा दायित्वों को हस्तांतरित करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी ।

11. कार्य आदेश के सम्यक ढंग से पूर्ण किए जाने हेतु सफल आवेदन का जमा बयाना राशि सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के पास प्रतिभूति जमा के रूप में रहेगा जो इस अवधि के समाप्त होने पर वापस किया जाएगा । निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित निबंधन तथा शर्तों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में यह जब्त कर लिया जाएगा । अन्य बोलीदाता के जमा बयाना राशि वापस कर दिए जाएंगे । इस राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।

12. यदि सफल बोलीदाता की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं, तो प्राधिकरण के पास ठेका अवधि के दौरान बिना कोई कारण बताए कार्य आदेश को समाप्त करने अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है ।

13. कार्य आदेश/ठेका के समाप्त किए जाने/रद्द किए जाने पर सफल बोलीदाता क्षतिपूर्ति, नुकसान अथवा किसी अन्य रूप में किसी राशि, राशियों के लिए हकदार नहीं होगा ।
14. सफल बोलीदाता को संविदा मूल्य का 10% निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा ।

संलग्नक - क

(I) **मुख्य विवरणः**

1. एजेन्सी का नामः
2. कार्यालय का पता
3. टेलीफोन नं.
4. दूरभाष नं.
5. फैक्स नं.
6. ई-मेल का पता
7. पैन नं. (कृपया प्रमाण संलग्न करे)

(II) **पूर्व अर्हता विवरणः**

1. क्या निविदादाता फर्म / कंपनी है **(कृपया प्रमाण संलग्न करे)** ।
2. जीएसटी पंजीकरण **(कृपया प्रमाण संलग्न करे)** ।
3. दिनांक 17/10/2017 को पिछले 03 वर्षों का अनुभव **(कृपया प्रमाण संलग्न करे)** ।
4. **निविदा की प्रतियां विधिवत हस्ताक्षरित हैं तथा उन पर कंपनी / फर्म की मुहर लगी हुई है (हां / नहीं)** ।
5. अलग सील बंद लिफाफे में वित्तीय बोली प्रस्तुत किया गया है **(हां / नहीं)** ।
6. **महाराष्ट्र में स्थित केंद्र सरकार / केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / महाराष्ट्र सरकार के स्वायत्त निकाय / औद्योगिक क्षेत्र द्वारा पिछले 3 वर्षों में जारी कार्यादेश की प्रतिलिपियां (प्रमाण संलग्न करें)** ।
7. इस आशय की स्वघोषणा की उन्हें सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के तथा निजी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा काली सूची में नहीं ड़ाला गया है ।
8. इस आशय का नोटरीकृत शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया जाए जिसमें यह घोषणा की गई हो कि किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कार्यालय द्वारा आपके फर्म को न तो काली सूची में डाला गया है और न ही कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है (शपथ-पत्र संलग्न करें) ।
9. इस आशय का वचनबंध की बोलीदाता सेवा का निष्पादन अथवा सेवा का कोई हिस्सा न तो किसी को सौंपेगा, न हस्तांतरित करेगा, न गिरवी रखेगा और न ही उप - ठेक पर देगा । वह आगे इसके लिए वचन-बंध प्रस्तुत करेगा कि वह निविदा दस्तावेज़ों के निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन करेगा ।

10. फर्म द्वारा इस आशय का विधिवत हस्ताक्षरित स्वीकृति-पत्र संलग्न किया जाए जिसमें निविदा दस्तावेज़ों के निबंधन तथा शर्तों के समझे जाने तथा स्वीकार किए जाने की पुष्टि की गई हो ।

11. फर्म मुंबई / बृहन्मुंबई का हो । सफल बोलीदाता को निगमन प्रमाणपत्र, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र तथा दुकान तथा अधिष्ठान लाइसेन्स परिसर अधिभोग करने संबंधी करार, बिजली बिल, टेलीफोन बिल आदि का दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा ।

12. **"सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण निधि"** के नाम से **मुंबई** में देय **1,00,000/- रू.** के बैंक ड्राफ्ट के रूप में बयाना राशि जमा **(डिमांड ड्राफ्ट संलग्न)** ।

13. फर्म / एजेन्सी के जिम्मेदार प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम ।

14. फर्म निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करे ।

"मैं / हम इसके द्वारा घोषणा करता हूं / करते हैं कि निविदा दस्तावज़ों को मैने / हमने पढ़ा है । मैं / हम निविदा में उल्लिखित सभी निबंधनों तथा शर्तों को स्वीकार करता हूं / करते हैं तथा इनका मैं / हम कड़ाई से अनुपालन करूंगा / करेंगे ।

सील के साथ निविदादाता का नाम
तथा पता एवं हस्ताक्षर

तारीख:

संलग्नक "ख"

प्रिंटेंड पहचान पत्रों की पूर्ति तथा गेट पासों की प्रिंटिंग (पीवीसी कार्ड) की वित्तीय बोली का फॉर्मेट ।

क्रमांक	मदों के नाम	प्रति कार्ड दर
1	सरकारी कर्मचारियों के पहचान पत्र	
2	प्रवेश के लिए गेट पास	

उद्धृरित दरों में सारे खर्चे शामिल किए जाए ।

हम वचन देते हैं कि हमारे द्वारा ऊपर उद्धरित की गई दरों में संविदा अवधि के दौरान कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा हम उचित कॉलमों में दर्शाई गई भुगतान अनुसूची को स्वीकार करते है ।

सील के साथ निविदादाता का नाम
तथा पता एवं हस्ताक्षर

तारीख:

<u>**सामान्य निबंधन एवं शर्तें**</u>

1. प्रत्येक निविदादाताओं को अपनी निविदा प्रस्तुत करने के पहले निबंधन एवं शर्तों को अवश्य ध्यानपूर्वक पढ़कर समझना चाहिए । ऐसा कोई बहाना कि शर्ते नहीं पढ़ी गई / नही समझी गई, बाद में किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी ।
2. निविदादाता को मुहरबंद लिफाफे में जिसके ऊपर यह लिखा गया हो **"पहचान पत्रों तथा गेट पासों (पीवीसी कार्डों) की पूर्ति एवं प्रिंटिंग के लिए निविदा"** तथा जो संपदा प्रबंधक, **सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण, सीप्ज़-सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 को संबोधित हो, प्रस्तुत करना चाहिए ।**
3. निविदाएं भूमितल पर स्थित आवक अनुभाग, सीप्ज़ - सेज़ के निकट रखे निविदा पेटी में डाली जाएं । निविदाएं इस कार्यालय में **दिनांक 18.10.2017** तक अथवा इसके पूर्व **अपराहन 02.30 बजे** तक अवश्य पहुच जाएं अथवा निविदा पेटी में डाली जाएं ।
4. निविदाएं अंग्रेजी / हिंदी में अवश्य लिखी जाएं । बोली से संबंधित अथवा इससे उत्पन्न सभी पत्राचार अंग्रेजी / हिंदी में होंगे ।
5. एकल आवरण प्रणाली अपनाई जाएगी । संगत विवरण तथा सभी अनिवार्य दस्तावेज़ों के साथ निबंधन एवं शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति, जमा बयाना राशि तथा संलग्नक "क" एक लिफाफे में रखकर उसे मुहरबंद करके जिसके ऊपर यह लिखा हो **"पहचान पत्रों तथा गेट पासों (पीवीसी कार्डों) की पूर्ति एवं प्रिंटिंग के लिए निविदा"** प्रस्तुत किया जाए । ऐसी सामग्रियां स्वीकार नहीं की जाएगी जो मुहरबंद न हों ।
6. आपवादिक परिस्थितियों में सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण निविदादाता से वैधता अवधि के विस्तार के लिए सहमति मांग सकता है । इस संबंध में अनुरोध तथा सहमति लिखित रूप में होगी ।
7. निविदादाता अपनी निविदा के हिस्से के रूप में 1,00,000/- रू. की बयाना राशि जमा करेगा । यह बयाना राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में होगी सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण निधि के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत तथा अनुसूचित बैंक पर आहरित तथा मुंबई में देय होगी ।
8. बयाना राशि के बिना प्रस्तुत की जानी वाली निविदा अस्वीकृत हो जाएगी । असफल निविदादाताओं को जमा बयाना राशि यथासंभव वापस कर दी जाएगी ।

9. निविदा की अवधि के दौरान निविदा वापस लेने अथवा निविदा खोले जाने के पश्चात बोली वापस लिए जाने की स्थिति में जमा बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी ।
10. सभी निविदाएं विकास आयुक्त का कार्यालय, सीप्ज़ - सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 में दिनांक 18.10.2016 को अपराह्न 03.30 बजे सार्वजनिक रूप से खोली जाएंगी । निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि निविदा खोले जाने के दौरान उपस्थित रह सकते है ।
11. निविदा प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तारीख के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाएं सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत कर दी जाएंगी ।
12. सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण ऐसे सफल निविदादाता को संविदा प्रदान करेगा जिसकी निविदा निर्धारित मानदंडों तथा उद्धरित प्रतिस्पर्धी कीमत के संदर्भ में एजेन्सी की उपयुक्तता के आधार पर निर्धारित की गई हो, बशर्ते कि निविदादाता संविदा को संतोषजनक ढंग से निष्पादित करने की योग्यता के प्रति तत्पर हो ।

सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण के पास बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत।